कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 141/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 11.04.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 11.04.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

थाना – मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़

- **मिशन शक्ति अभियान के तहत नाबालिग अपहृता को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने एवं दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **अपहृता को सकुशल बरामद कर विधिक कार्रवाई की गई**
- **अभियुक्त द्वारा विवाह का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध स्थापित करने का मामला प्रकाश में आया**

आजमगढ़। जनपद में *मिशन शक्ति अभियान* के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, संरक्षण एवं त्वरित न्याय सुनिश्चित करने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मुबारकपुर पुलिस द्वारा नाबालिग अपहृता को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने एवं दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

- **पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण-**

दिनांक 28.03.2026 को थाना मुबारकपुर पर प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया कि एक नाबालिग बालिका को अभियुक्त द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले जाया गया। विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि उक्त प्रकरण में परिजनों की भूमिका तथा सहयोगी अभियुक्तगण की संलिप्तता भी पाई गई।

विवेचना के दौरान अपहृता को दिनांक 10.04.2026 को सकुशल बरामद किया गया। पीड़िता के बयान एवं साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमे में धारा 64(1) बीएनएस एवं 3/4 POCSO Act की बढ़ोतरी की गई।

- **गिरफ्तारी का विवरण-**

दिनांक 11.04.2026 को उ0नि0 मोहम्मद शमशाद खान मय हमराह पुलिस टीम के साथ देखभाल क्षेत्र एवं वांछित अभियुक्तों की तलाश में मामूर थे, तभी प्राप्त मुखबिर खास की सूचना के आधार पर अभियुक्त को भटौरा पुलिया के पास से समय करीब 11:30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया।

अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु रवाना किया गया।

गिरफ्तारी के दौरान समस्त वैधानिक एवं मानवाधिकार आयोग के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया।

- **अभियुक्त का विवरण-**

नाम– गनेश मौर्य पुत्र रमायन मौर्य निवासी– कस्बा सराय, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़

- **पंजीकृत अभियोग-**

मु0अ0सं0 119/2026 धारा 137(2), 87, 61(2), 64(1) बीएनएस व 3/4 POCSO Act थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़

- **गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-**

उ0नि0 मोहम्मद शमशाद खान मय हमराह, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़

- *मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा हेतु जनपद पुलिस द्वारा प्रभावी एवं सतत कार्रवाई जारी है।*

थाना – मेंहनगर, जनपद आजमगढ़

□ मिशन शक्ति अभियान के तहत नाबालिग अपहृता को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने वाले वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी

□ पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़िता को सकुशल बरामद किया गया

आजमगढ़। जनपद में *मिशन शक्ति अभियान* के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मेंहनगर पुलिस द्वारा नाबालिग अपहृता को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए पीड़िता को सकुशल बरामद किया गया।

□ पूर्व की घटना/इतिहास का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 20.11.2025 को थाना मेंहनगर पर प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया कि अभियुक्त द्वारा एक नाबालिग बालिका को दिनांक 17.11.2025 को रात्रि में बहला-फुसलाकर भगा ले जाया गया। प्रकरण में मु0अ0सं0 505/25 धारा 137(2)/87 बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।

विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमे में धारा 64 बीएनएस एवं 3/4 POCSO Act की बढ़ोतरी की गई।

□ गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

दिनांक 10.04.2026 को उ0नि0 मोहम्मद आलम मय हमराह पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में वांछित अभियुक्त की तलाश में मामूर थे, तभी मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त को जयनगर बाजार से समय करीब 13:25 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। मौके से मुकदमा उपरोक्त से संबंधित पीड़िता को सकुशल बरामद किया गया। अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

□ अभियुक्त का विवरण-

संतोष राम पुत्र रामनिवास राम निवासी – ग्राम कुशमुलिया, थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़

□ बरामदगी का विवरण-

- मुकदमा उपरोक्त से संबंधित पीड़िता सकुशल बरामद

□ पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 505/2025 धारा 137(2)/87 बीएनएस, बढ़ोत्तरी धारा 64 बीएनएस व 3/4 POCSO Act
थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़

□ गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 मोहम्मद आलम मय हमराह

का0 विशाल मल्ल

म0का0 दीक्षा मिश्रा

थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़

□ *मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा हेतु जनपद पुलिस द्वारा निरंतर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।*

थाना – रौनापार, जनपद आजमगढ़

☐ मिशन शक्ति अभियान के तहत नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में 01 बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया

☐ पीड़िता को सकुशल बरामद कर मेडिकल एवं बयान हेतु भेजा गया

आजमगढ़। जनपद में *मिशन शक्ति अभियान* के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना रौनापार पुलिस द्वारा नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वांछित 01 बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है।

☐ पूर्व की घटना/इतिहास का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17.03.2026 को थाना रौनापार पर प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया कि एक नाबालिग बालिका को बाल अपचारी द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले जाया गया। इस संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 59/2026 धारा 137(2)/87 बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।
विवेचना के दौरान पीड़िता को बरामद कर उसके बयान एवं चिकित्सीय परीक्षण हेतु वन स्टॉप सेंटर भेजा गया तथा आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

☐ पुलिस अभिरक्षा का विवरण-

थानाध्यक्ष रौनापार के नेतृत्व में दिनांक 11.04.2026 को उ0नि0 सुमित सिंह मय हमराह पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित बाल अपचारी को समय करीब 10:15 बजे बघावर तिराहे से पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

☐ *मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा हेतु जनपद पुलिस द्वारा सतत प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।*

थाना – कोतवाली, जनपद आजमगढ़

☐ नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में 01 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में

☐ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज, अग्रिम विधिक कार्यवाही जारी

दिनांक 09.04.2026 को वादी द्वारा थाना कोतवाली पर प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया कि उसकी नाबालिग पुत्री खेल रही थी, इसी दौरान ऊपर रहने वाला एक नाबालिग लड़का उसके साथ गलत कार्य करने का प्रयास कर रहा था। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 158/2026 धारा 74 बीएनएस व 7/8 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए गठित पुलिस टीम द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए दिनांक 11.04.2026 को उ0नि0 हरिकेश कुमार राय व हे0का0 सुशील सिंह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित बाल अपचारी (उम्र करीब 15 वर्ष) को कांशीराम आवास, रैदोपुर क्षेत्र से समय 13:35 बजे नियमानुसार पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। प्रकरण में आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

बाल अपचारी का विवरण – उम्र करीब 15 वर्ष।

थाना – कोतवाली/जहानागंज, जनपद आजमगढ़

 वांछित अभियुक्त के विरुद्ध धारा 84 बीएनएसएस के अंतर्गत उद्घोषणा की कार्रवाई

 थाना कोतवाली व थाना जहानागंज पुलिस की संयुक्त कार्रवाई

 न्यायालय के आदेश पर अभियुक्त के घर नोटिस चस्पा, डुगडुगी कराई गई

 बैंक धोखाधड़ी व गबन के गंभीर प्रकरण में वांछित चल रहा है अभियुक्त

थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 527/2025 धारा 319(2), 318(4), 316(2) बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त दीनदयाल उपाध्याय पुत्र अमरनाथ उपाध्याय निवासी मुस्तफाबाद थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किए गए। अभियुक्त के घर एवं संभावित ठिकानों पर बार-बार दबिश दी गई, किन्तु न तो उसकी गिरफ्तारी हो सकी और न ही उसने माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण किया।

उक्त परिस्थितियों में माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ के आदेश दिनांक 07.04.2026 के अनुपालन में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 84 बीएनएसएस के अंतर्गत उद्घोषणा की कार्रवाई की गई। नियमानुसार अभियुक्त के घर के मुख्य द्वार पर नोटिस चस्पा कर डुगडुगी बजवाई गई तथा गवाहों के हस्ताक्षर कराए गए।

आज दिनांक 11.04.2026 को थाना कोतवाली व थाना जहानागंज पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु उसके घर पुनः दबिश दी गई। अभियुक्त की तलाश की गई, किन्तु उसका कोई पता नहीं चल सका। तत्पश्चात न्यायालय से निर्गत उद्घोषणा नोटिस को अभियुक्त के मकान के मुख्य द्वार के पास चस्पा करते हुए समक्ष गवाहों की उपस्थिति में नियमानुसार उद्घोषणा की कार्यवाही की गई।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 14.10.2025 को वादी उमाकान्त यादव पुत्र सर्वजीत राम यादव निवासी कन्धेरी पोस्ट डुमराव थाना सराय लखन्सी जनपद मऊ (वर्तमान शाखा प्रबंधक, इंडसइंड बैंक, आजमगढ़) द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था कि अभियुक्त द्वारा बैंक के तीन ग्राहकों के खातों से बिना सहमति के धोखाधड़ी कर धनराशि का गबन किया गया, जिसके संबंध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 527/2025 धारा 319(2), 318(4), 316(2) बीएनएस पंजीकृत है।

अभियुक्त दीनदयाल उपाध्याय का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 527/2025 धारा 316(2), 318(4), 319(2) बीएनएस थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 534/2025 धारा 316(5), 318(4) बीएनएस थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 548/2025 धारा 316(5), 318(4) बीएनएस थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़
4. मु0अ0सं0 141/2026 धारा 209 बीएनएस थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़
5. मु0अ0सं0 142/2026 धारा 209 बीएनएस थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़

➡ आपराधिक कृत्यों में संलिप्त एवं फरार अभियुक्तों के विरुद्ध कानून के तहत सख्त कार्रवाई निरंतर जारी है।